

पंजीकरण
06.10.2022
से
05.11.2022
तक

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



अपनी जमीं अपना आसमान



लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से

बसन्त कुब्ज योजना

सेक्टर-A, हरदोई रोड, लखनऊ में
B, D एवं E श्रेणी के भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

पंजीकरण पुस्तिका



लखनऊ विकास प्राधिकरण

विवरण पुस्तिका

1. योजना का नाम— बसंतकुन्ज योजना
स्थल— सेक्टर—ए, हरदोई रोड, लखनऊ
2. पंजीकरण:
2.1 पंजीकरण की अवधि: 06.10.2022 से 05.11.2022 तक
2.2 पंजीकरण हेतु पात्रता:
✓ आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
✓ आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय आवेदन कर सकते हैं।
✓ आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास लखनऊ में कोई भी सम्पत्ति एवं उत्तर प्रदेश में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखंड, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/अन्य सरकारी विभाग द्वारा आवंटित नहीं होनी चाहिए।
3. योजना में उपलब्ध भूखण्डों का विवरण

क्र० सं०	रेरा पंजीकरण संख्या	योजना/सेक्टर	श्रेणी B वर्गमीटर 200.00	श्रेणी D वर्गमीटर 112.50	श्रेणी E वर्गमीटर 72.00
1	UPRERAPRJ254083	A	30	70	175

नोट: भूखण्डों की संख्या बढ़ या घट सकती है।

4. भूखण्डों का मूल्य एवं पंजीकरण धनराशि:—

भूखण्ड श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आवंटन दर (प्रति) वर्गमीटर	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण धनराशि 10%	अवशेष भुगतान
B	200.00	30350.00	6070000.00	607000.00	5463000.00
D	112.50	30350.00	3414375.00	341437.50	3072937.50
E	72.00	30350.00	2185200.00	218520.00	1966680.00

नोट : उपरोक्त दरों में 12% की दर से फ्री-होल्ड शुल्क सम्मिलित है।

- 4.1 आवंटी द्वारा पंजीकरण धनराशि 10 प्रतिशत आन—लाइन जमा करनी होंगी।
- 4.2 आरक्षित वर्ग के लिए पंजीकरण धनराशि 5 प्रतिशत होगी।
- 4.3 आवंटन के पश्चात अवशेष धनराशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 08 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- 4.4 देय धनराशि की किश्ते समय से जमा न किये जाने की स्थिति में 11 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दण्ड ब्याज देय होगा।
- 4.5 कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग में 05 प्रतिशत तथा 18 मीटर रोड व उससे अधिक चौड़ी पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी आवंटन में तीनों गुण होंगे तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक देय होगा।

5. छूट:

आनलाईन डाउनलोड आवंटन पत्र पर Digital Signature के अगली तिथि से 60 दिन के अन्दर अवशेष सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर 75 प्रतिशत धनराशि (फ्री होल्ड धनराशि को छोड़ कर) पर 5 प्रतिशत की छूट होगी। आवंटी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर नहीं घटाई जानी चाहिए। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के समय देय अन्य मदों में समायोजित किया जायेगा।

6. आवंटी / आवेदक की मृत्यु की दशा में:

यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसको पंजीकरण धनराशि अथवा आवंटित भूखण्ड उसके उत्तराधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर, हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

7. आरक्षण:

- 7.1 उ0प्र0 सरकार के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण अनुमन्य होगा जो वर्तमान में निम्नवत् है:—

क्र०सं०	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक / सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5.	सरकारी सेवको तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।	05
6.	विकास प्राधिकरण / उ०प्र० आवास विकास परिषद, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय, आवास बन्धु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	वरिष्ठ नागरिक	10% हारिजेन्टल
9.	विकलांगों को शासनादेश संख्या-55 / आठ-1-18-185 विविध / 2010 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार आरक्षण देय होगा।	5% हारिजेन्टल

- 7.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों (60 वर्ष के ऊपर) हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हारिजेन्टल होगा।
8. अपरिहार्य परिस्थितियों में भूखण्डों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
9. भूखण्ड आवंटन के पश्चात यदि किसी भी परिस्थिति में भूखण्ड विवादित होने की दशा में भूखण्ड दिया जाना सम्भव नहीं होगा तो आवंटनी की जमा धनराशि पर 4 प्रतिशत साधारण ब्याज देकर जमा धनराशि रिफण्ड कर दी जायेगी। वैकल्पिक भूखण्ड नहीं दिया जायेगा।
10. **आवंटन:**
- 10.1 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- 10.2 लाटरी की तिथि के पश्चात आवंटन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट <http://www.ldaonline.co.in> से डाउनलोड किये जा सकेंगे। जो डिजीटली साइन्ड होंगे तथा पूर्ण रूपेण मान्य होंगे, पृथक से कोई आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
11. **पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी:**
- 11.1 आवंटन के पश्चात असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि वापस किये जाने की स्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 11.2 यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात अपने भूखण्ड को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत एवं देय जी0एस0टी0 काटकर शेष धनराशि वापस होगी।
12. **तथ्यों का छिपाना:**
- यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई गई है तो उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दें तथा आवंटनी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि को जब्त कर ले। इसके लिए अन्य कानूनी कार्यवाही जो प्राधिकरण उचित समझे, की जा सकती है।
13. **फ्री-होल्ड शुल्क:**
- प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का निबन्धन फ्री-होल्ड भूमि के रूप में किया जायेगा। फ्री-होल्ड शुल्क 12% की दर से देय होगा, जो भूखण्ड के मूल्य में सम्मिलित है।

14. भूखण्ड का कब्जा:

14.1 आवंटन तिथि के 36 माह के अन्दर भूखण्ड का सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के पश्चात रजिस्ट्री कर आवंटी को भूखण्ड का कब्जा दिया जायेगा।

14.2 निबन्धन/अनुबन्ध इत्यादि में आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

15. भूखण्ड को बन्धक रखने का प्राविधान:

आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनुमति/अनापत्ति से ऋण प्राप्त करने के लिए भूखण्ड बन्धक रखने का अधिकार होगा।

16. कर/शुल्क आदि की देयता:

16.1 आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार, नगर निगम अथवा प्राधिकरण बोर्ड, अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी द्वारा देय होंगे।

16.2 योजना में भूखण्डों के निबन्धन के उपरान्त योजना को नगर निगम को हस्तगत होने तक अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव हेतु प्राधिकरण अथवा उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क + जी.एस.टी. का भुगतान आवंटी को करना होगा।

17. अन्य सामान्य नियम एवं शर्तें:

17.1 भूखण्डों की स्थिति, क्षेत्रफल एवं मूल्य अनन्तिम है। विकास कार्यों के निष्पादन के फलस्वरूप इनमें परिवर्तन हो सकता है।

17.2 विकास कार्य/निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लखनऊ विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

17.3 किसी भी प्रकार के विवाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

18. पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया :

18.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक— से दिनांक— तक रु—630/— (जी०एस०टी० सहित) का ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है।

18.2 आवेदन आन-लाइन के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। ल०वि०प्रा० की वेबसाइट—www.ldaonline.co.in पर आवेदन फार्म भरा जायेगा। आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किये जायेंगे—

1. आवेदक/आवेदकों की फोटो
2. आधार कार्ड
3. पैन कार्ड
4. स्कैन हस्ताक्षर
5. आय प्रमाण पत्र/आय के स्रोत के सम्बन्ध में स्व: प्रमाण पत्र
6. आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र।
7. पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये प्रारूप पर शपथ पत्र की प्रति।

19. पंजीकरण पुस्तिका में संलग्न शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर आवंटन होने के पश्चात् ल०वि०प्रा० कार्यालय में मूल रूप से जमा करना अनिवार्य होगा।

20. आवेदक द्वारा जिस नाम से आवेदन किया जा रहा है, उसी नाम का बैंक खाता विवरण में दिया जाय।

21. (i) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन पत्र स्वीकर नहीं किए जाएंगे।
- (ii) शासनादेश के अनुक्रम में भूखण्डों का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से किए जाने की व्यवस्था है। अतः विवाहित आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है।
- (iii) संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर दोनों आवेदकों के स्कैन हस्ताक्षर अपलोड किये जायेंगे।
22. यदि किन्ही कारणवश आवंटन के पश्चात भूखण्ड दिया जाना सम्भव न हो तो धनराशि नियमानुसार ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी। किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जायेगा।



लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

शपथ पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र रु-10/-के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।)

मैं/हम श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री आयु वर्ष,

निवासी

शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ/करते हैं कि:-

1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम किसी भी सदस्य के पास लखनऊ में कोई भी भवन/भूखण्ड एवं उ0प्र0 में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखंड लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/अन्य सरकारी विभाग द्वारा आवंटित नहीं है।
3. मैं/हम आवंटन की सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।
4. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के संबंध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भवन/भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी।
5. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उपाध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।
6. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वो सत्य हैं।

हस्ताक्षर



लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, गोमतीनगर, लखनऊ
(बसंत कुंज योजना)

पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म का प्रारूप

फार्म संख्या—

(आवेदन फार्म ऑनलाइन भरे जायेंगे)

1	योजना का नाम—	हरदोई रोड																															
2	उपयोजना का नाम—	बसन्त कुंज																															
3	भुगतान पद्धति—	एकमुश्त				किश्तों में																											
4	भूखण्ड की श्रेणी—	A		B		D		E																									
5	आवेदक का नाम —																																
6	पिता/पति का नाम—																																
7	संयुक्त आवेदक का नाम—	(1)									(2)																						
8	पिता/पति का नाम—																																
9	पत्र व्यवहार का पता—																																
10	पिनकोड																	वैवाहिक स्थिति	विवाहित <input type="checkbox"/>	अविवाहित <input type="checkbox"/>													
11	आयु—																	जन्मतिथि	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	लिंग—	पु0		म0		अन्य	
12	श्रेणी—	GENERAL				SC				ST				O.B.C.				Other															
13	आधार संख्या—																	पैन नं0															
14	व्यवसाय—	वार्षिक आय—																															
15	पंजीकरण धनराशि (अंको में) रूपये																																
16	पंजीकरण धनराशि (शब्दों में) रूपये																																
17	आवेदक का बैंक खाता विवरण																																
	खाताधारक का नाम																																
	बैंक का नाम व शाखा																																
	खाता संख्या																																
	आई0एफ0एस0सी0 कोड																																
18	आवेदक द्वारा नामित उत्तराधिकारी का नाम एवं सम्बन्ध																																
	नाम																																
	पिता का नाम																																
	उम्र																																
	नामित उत्तराधिकारी से सम्बन्ध																																
19	आवेदक का मोबाइल नं0—1.																	2															
20	ई-मेल —																																

घोषणा:—

- क. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पंजीकरण सम्बन्धी सभी नियम एवं शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ व समझ लिया है जो मुझे/हमें मान्य है।
- ख. उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी में सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य अथवा सूचना असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो प्राधिकरण को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- ग. यदि मुझे/हमें भूखण्ड आवंटित नहीं होता है तो पंजीकरण धनराशि की वापसी अंकित बैंक विवरण में हस्तान्तरित कर दिया जाय।

स्थान:—

दिनांक:—

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

BROCHURE

1. **Name of Scheme** : **Basant Kunj Yojna**
Site : **Sector -A, Hardoi Road, Lucknow**
2. **Registration**
 - 2.1 **Registration period** : **06.10.2022 to 05.11.2022**
 - 2.2 **Eligibility for Registration**
 - Applicant must be over 18 years of age.
 - Applicant should be a citizen of India. NRIs can apply.
 - Applicant or any member of his family should not have any residential building/plot in Lucknow & not more than one residential building/plot in U.P. allotted by LDA/UPHB/any other government department.
3. **Description of plots available:**

Sl. No.	RERA Registrartion No.	Sector	Type-B 200. 00 sq. Mtr.	Type-D 112. 50 sq. Mtr.	Type-E 72. 00 sq. Mtr.
1	UPRERAPRJ254083	A	30	70	175

Note : No. of plot may increase or decrease.

4. **Cost of Land and Registration Amount:**

Type of Plot	Area in Sq. Mtr.	Allocation Rate (per Sq. mtr.)	Tentative Cost	Registration Amount 10% Cost	Balance
B	200.00	30350.00	6070000.00	607000.00	5463000.00
D	112.50	30350.00	3414375.00	341437.50	3072937.50
E	72.00	30350.00	2185200.00	218520.00	1966680.00

Note : The above rates include 12% freehold fee.

- 4.1 The applicants have to apply online by depositing 10% amount of the cost of land towards registration amount.
- 4.2 The registration amount for reserved category will be 5%.
- 4.3 After the allotment the allottee have to deposit balance amount in 09 Quarterly installments with 8% annual interest or one-time payment as the case may be.
- 4.4 If the payment is not made by due date, then penal interest @ 11% annually compound shall be payable.
- 4.5 In case of corner plot 10% extra shall be charged and likewise for park facing 5% extra and if the plot is situated at 18 meter wide road or above 10% extra shall be charged. If all the three above categories found in a plot then the value of plot shall be 20% above the normal value.

5. Discount:

After allotment if the balance amount (i.e. Total Amount) is paid within 60 days from the Digital Signature next date of issue of Online Download allotment letter, then 5% rebate shall be permissible upon the 75% amount. But the allottee shall not make the deduction of the said amount while depositing the amount and the said amount permissible towards rebate shall be adjusted against 12% freehold charges and other charges payable at the time of final calculation.

6. In case of death of allottee / applicant:

In case of death of allottee, the plot will be transferred to his successor on providing necessary records.

7. Reservation:

- 7.1 According to the government order related to reservation of Uttar Pradesh, reservation will be permissible to different classes, which is presently as follows:-

S.No.	Category	Percentage
1	Scheduled Caste	21
2	Scheduled Tribes	02
3	Other Backward Classes	27
4	MLA /MLC/MP and freedom fighter and their dependent	05
5	Serving government employees and security personnel who have completed 50 years of age.	05
6	Staff of Development Authority / Uttar Pradesh Housing Development Council, Jal Sans than, Municipal Corporation and Local Body, Housing Brothers office and Town and Country Planning Department.	02
7	Ex-servicemen and their dependents	03
8	Senior Citizen	10% Horizontal
9	As per the Government Order No. 55 / Aath-1-18-185 Vividh / 2010 dated 15.05.2018, Reservation will be admissible to the handicapped.	05 Horizontal

7.2 After due consideration for necessary action in relation to the National Policy for Old Persons (above 60 Years) announced by the Ministry of Social Justice and Empowerment, the Government has decided that in the disposal of properties, reservation of 10 percent for the old person of the society should be made, But this reservation will be out of the reservation available for each category rather than separate reservation. For example, if the old person belongs to the scheduled caste, then out of 21% reservation available to the scheduled caste the 10% reservation out of the said reservation will be for the old People. Thus, this reservation will be horizontal.

8. The number of plots can be changed in unavoidable circumstances.

9. After allotment of plot, if under any circumstances it is not possible to give the plot in case of dispute, then the deposited amount will be refunded by paying 4% **simple interest on the amount deposited by the allottee. Alternate plot will not be given.**

10. **Allotment:**

10.1 The result of lottery will be publicly displayed on the notice board of the Authority and the website of the Lucknow Development Authority.

10.3 **After from the date of the lottery, the allotment letter can be downloaded from the authority's website <http://www.ldaonline.co.in> which will be digitally signed and fully valid, no separate allotment letter will be issued.**

10.4 The lottery will be taken out category wise including all plots of all sectors as mentioned on table on Sl. No. 3 of this booklet.

11. **Cancellation of registration and withdrawal of deposit amount:**

11.1 After the allotment, no interest shall be payable to the unsuccessful applicants returning the registration No interest will be payable in case the amount is refunded.

11.2 If an applicant wants to withdraw after the allotment then the registration amount will be refunded after deducting 20 percent + GST from the registration amount.

12. **Hiding Facts:**

If any details given by the applicant are found to be false or any important thing has been concealed, then the Vice Chairman Lucknow Development Authority shall have the right to cancel the allotment / registration / agreement and seize the entire registration amount deposited by the allottee. For this, other legal proceedings which the Authority deems fit & proper, may also be taken.

13. **Free-hold charges**

The plot allotted by the authority will be registered as free-hold land. The free-hold fee will be payable at the rate of 12% which is included in the price of the plot.

14. Possession of plot:

- 14.1 Possession will be given in 36 months from the date of allotment, after full and final payment is made, at the time of execution and registration of sale deed.
- 14.2 All expenditure incurred in registration/agreement etc. will be beared by the allottee.

15. Provision for mortgaging the plot:

The allottee can mortgage the land with the Permission / No Objection of the Lucknow Development Authority.

16. Liability of tax etc.:

- 16.1 All taxes/charges levied by the Government of India/Uttar Pradesh Government/Board of authority/Municipal Corporation or any other department in respect of the allotted plot shall be payable by the allottee.
- 16.2 After registry of plots and till handover of the scheme to Nagar Nigam, maintenance charges+G.S.T. for maintenance of infrastructure services shall be payable by allottee as applicable by authority or govt. of U.P.

17. Other General Terms and Conditions:

- 17.1 The position, area and value of the plots is provisional and the same may vary as a result of execution of development works.
- 17.2 After completion of development work / construction work, other prevailing conditions in Lucknow Development Authority and amendments / changes / additions made by the Authority or Government from time to time will be applicable and valid.
- 17.3 For all disputes the territory of Lucknow shall have exclusive jurisdiction.

18. Registration Process:

- 18.1 Brochure for registration can be obtained from online payment of Rs.630 / - (including GST) from
Date : to

18.2 Application Procedure:

Applications will be accepted online only. The application form will be filled up on the website of L.D.A. i.e. www.ldaonline.in, URL:janhit.upda.in Following records will be uploaded along with the application form-

- 1. Photo of the applicant / applicants
- 2. Aadhaar Card
- 3. PAN card
- 4. Scan signature
- 5. Income certificate / Self-certificate regarding source of income.
- 6. Reservation category certificate
- 7. Affidavit on prescribed format as given in brochure.

- 19. The original affidavit as prescribed in brochure shall have to be deposited in the office of LDA after the allotment of plot.

- 20. Applicant is instructed to give his own Bank account details.

- 21. (i) Name and address should be filled in full by the applicant while applying online. Incomplete or incomplete filled applications will not be accepted.
- (ii) Registration of the plots shall be done in the name of husband and wife. In case the applicant is married, joint application can be made by husband and wife in the application form.

- (iii) In case of joint application, scanned signatures of both the applicants will be uploaded.
22. If due to any reason it is not possible to give the plot after allotment, then the amount will be returned along with interest as per rules. No adjustments of any kind will be made.



Lucknow Development Authority

Authority Building, Gomti Nagar, Lucknow

AFFIDAVIT FORMAT

(Affidavit attested by a notary on General Stamp of Rs. 10/-)

I/We Shri/Smt.....

S/o / D/o / W/o / Shri..... aged years,

R/o

swear to state that-

1. I am / We are / citizens of India.
2. I or my family (spouse and dependent children) do not have any residential building/ plot in Lucknow and not more than one residential building/plot in U.P. allotted by L.D.A./UPHB/any other government department.
3. I / We shall comply with all the conditions of allotment. If any condition is violated by me, the Authority shall have the right to cancel my allotment and forfeit the deposited amount.
4. If there is an increase in the value of the allotted building / plot due to unavoidable reasons by order of the court or any other judicial process in respect of acquisition of land, I will pay it as per the prescribed rules.
5. I will pay the dues before the due dates on time. If there is any delay in payment by me and the authority cancels my allotment on account of the above, I will have no objection and the VC's general decision will be final and accepted.
6. The facts shown by me in the application from are true.

Signature



Lucknow Development Authority

Authority Building, Gomti Nagar, Lucknow

(Basant Kunj Scheme)

Sample Format of Application Form for Registration

Form No.

(Application Forms will be filled online)

1	Name of Scheme	Hardoi Road	
2	Name of Sub-Scheme	Basant Kunj	
3	Payment Method	Cash Down <input type="checkbox"/>	On Installment <input type="checkbox"/>
4	Category of Plot	A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>	
5	Name of Applicant		
6	Name of Father/Husband		
7	Name of Joint Applicant		
8	Name of Father/Husband	(1)	(2)
9	Postal Address		
10	Pincode		Marital Status Married <input type="checkbox"/> Unmarried <input type="checkbox"/>
11	Age	Date of Birth	Gender
12	Category	General	SC
13	Aadhar Number		PAN No.
14	Occupation	Annual Income	
15	Registration Amount (in digits) Rupees		
16	Registration Amount (In words) Rupees		
17	Details of applicant's Bank Account		
	Name of Account Holder		
	Name of Bank & Branch		
	Account Number		
	I.F.S.C. Code		
18	Name and relation of the Designated successor by the applicant		
	Name		
	Father's Name		
	Age		
	Relation from Designated Successor		
19	Mobile No. of Applicant	1	2
20	E- mail		


22. Announcement

- A. I/We hereby declare that I/we have fully read and understood all the registration terms and conditions which are valid to me/us.
- B. All the above information is true in my / our information and no facts have been hidden. If any fact or information is found to be false or incomplete, the authority will have the right to cancel the registration / allotment.
- C. If the plot is not allotted to me / us, the refund amount will be transferred to the bank details mentioned in the application form.

Place :
Date :

Signature of Applicant/Applicants

बसन्तकुंज योजना



लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, काल सेन्टर: 180018005000
पी.बी.एक्स.: 0522-2307839, ई-मेल: prolda.1698@gmail.com

मूल्य: 630/-